

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/ 2-11/05/2005
प्रति,

भोपाल, दिनांक 1/4/10

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

विषय :- अध्यापक संवर्ग की सेवा पुस्तिका का संधारण के संबंध में।

--0--

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-11/2005/22/प-2 भाषाव्युत्पन्न दिनांक 28.12.2005 तथा नगरीय प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 4757/05/18-1 दिनांक 02.12.2005 द्वारा शिक्षाकर्मियों की सेवा पुस्तिका का संधारण के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। प्रदेश में दिनांक 01.04.07 से शिक्षाकर्मियों के सविलियन एट सविलियन शाखा शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षाकर्मियों के संबंध में जारी किया गया यह आदेश अध्यापक संवर्ग के लिए यथावत लागू रहेगा।

(उर्मिला शुक्ला)

उप सचिव

म.प्र शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 1/4/10

पृष्ठां क्रमांक/ 2-11/05/2005
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वित्त/स्कूल शिक्षा विभाग/ प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
5. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

उप सचिव

म.प्र शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग